रिपोर्टेबल

सर्वोच्च न्यायालय

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार

फौजदारी अपील संख्या 1894/2010

राजस्थान राज्य

.... अपीलांट

बनाम

मेहराम व अन्य

... प्रत्यार्थी

ए.एम. खानविलकर, न्यायाधिपति

1- इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0क्रिमिनल संख्या 271/1982 में पारित निर्णय एवं

आदेश दिनांक 5.11.2017 को चुनौती दी गयी है जिस द्वारा प्रत्यार्थी क्रम 1/ मूल अभियुक्त संख्या 5 (महराम पुत्र श्री छ्गनाराम) के धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के दोषसिद्धि के आदेश को धारा 326 भा. द. स. में परिवर्तित कर दिया गया एवं एतद्द्वारा सरताः दण्ड के आदेश को भुगती हुई सजा (तकरीबन 5 माह) तक कम कर दी गयी। शुरूआत में ही, अपीलांट राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि उनके द्वारा यह अपील अभियुक्त संख्या 5 (महराम पुत्र छ्गनाराम) के विरुद्ध उसके धारा 302 भादस0 के दोषसिद्धि के आदेश एवं आजीवन कारावास की सजा को बहाल के लिए अनुनय की जा रही है।

2. संक्षिप्त में यह कथन है कि, प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 14.08.19 पुलिस थाना नागौर में मौजा गोआखुर्द में हुए घटना के संबंध में पांच लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट पेश की गयी। अनवीक्षा न्यायालय द्वारा जैसा प्रकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट मे व्याख्यातित है, इस अनुसार है :-

"2 ....

"दिनांक 14.08.1981 को शाम 9.30 बजे घ ायल फरियादी मांगीलाल द्वारा एक मौखिक रिपोर्ट थाना प्रभारी, पुलिस थाना नागौर को इस आशय की पेश की उसके पास ग्राम गोआखुर्द में 04 खेत है, उसमें से एक खेत गांव से 01 किलोमीटर दूर स्थित है। फरियादी द्वारा आगे यह कहा गया कि उस खेत में जाने के लिए उन्हें एक पुराना रास्ता जो हीरा, छागना एवं जीवन के खेत से गुजरता है उससे जाना पड़ता है। हालांकि यह रास्ता सरकारी अभिलेख पर अभिलेखित नहीं है। रिपोर्ट में फरियादी द्वारा

आगे यह कथन किया गया है कि पिछले साल हीरा के पुत्रों ने फरियादी के पुत्रों को उस अनअभिलिखित रास्ते से उनके खेत पर जाने से रोका था। अन्ना काका के बीच बचाव से उनको शांत कर दिया गया। तत्पश्चात्, वर्षा ऋतु के बाद, अभियुक्त हीरा एवं छगना द्वारा यह रास्ता बंद कर दिया गया। इसलिये बासनी से जाने के पश्चात् उन्होंने अपना खेत पर बुवाई की। रिपोर्ट में फरियादी द्वारा आगे यह कथन किया गया कि शाम के समय फरियादी अपनी पत्नी के साथ जंगली घास हटाने के लिये अन्य खेत में जा रहा था एवं उस समय उसका छोटा भाई घ ोवर एवं सांवता कुछ दूरी पर बकरी चरा रहे थे। उसी समय रामनारायण एवं घेवर के बीच रास्ते को लेकर झगड़ा हो गया एवं वह गांव चले गये। शाम को 05 बजे उसकी पत्नी भी गांव आ गयी। फरियादी द्वारा आगे यह कथन किया कि सूर्योदय के समय जब वह अकेला ही अपने खेत से गांव आ रहा था। जब वह गांव के नजदीक तालाब पर पहुंचा तब अभियुक्त महराम एवं बक्शाराम जिनके पास कस्सियां था एवं

अभियुक्त रामनारायण हीराराम एवं रामनिवास जिनके पास लाठियां थी, काईयों से बाहर आये और फरियादी को घेर लिया। अभियुक्त बक्शाराम द्वारा जान से मारने की नियत से धारदार कसी से मांगीलाल के चोट मारी, पर मांगीलाल द्वारा अपने हाथों से बचा लिया गया, जिस कारण मांगीलाल के हाथ से चोट आयी। अभियुक्त बक्शाराम द्वारा मांगीलाल को कसी से एक और चोट देने की कोशिश की गयी, परंतु भूराराम द्वारा वह कस्सी पकड़ ली गयी और मेहराम, मोती एवं अंताराम अपने खेतों से घट्नास्थल पहुंच गये। तत्पश्चात्, अभियुक्त महराम पुत्र छगना द्वारा धारदार कस्सी से भूरा के पीछे प्रहार किया गया, जिस कारण भूरा नीचे गिर गया, अभियुक्त रामनिवास द्वारा मेहराम पुत्र रामनिवास के सिर पर लाठी की चोट मारी। उसके बाद सभी अभियुक्तों ने मारपीट की। फिर रतना, मोटी एवं अन्नाराम ने घटनास्थल पहुंचने पर बीच बचाव किया। अभियुक्त को ऐसा प्रतीत हुआ कि भूरा मर गया है तो वो भाग गये। फरियादी द्वारा

आगे यह कथन किया है कि अभियुक्तों ने इसलिये मारपीट की वह रास्ते के विवाद का बदला लेना चाहते थे।''

अतः परिवाद के आधार पर धारा 147, 148, 149, 323, 307 एवं 302 भादस. के प्रावधानों के तहत अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सैशन न्यायालय द्वारा अनन्य रूप में विचारणीय होने के कारण सेशन न्यायालय को फरवरी 1982 कमिट किया गया, जहां यह प्रकरण सेशन संख्या 9/1982 में रूप में दर्ज किया गया। सम्पूर्ण अनवीक्षा की गयी जिसमें 14 अभियोजन साक्ष्य परिक्षित हुए, अनवीक्षा न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आये साक्ष्यों को विस्तृत विश्लेषण कर दिनांक 21.07.1982 के अपने

निर्णय एवं आदेश जो 115 पेजों पर टंकित था, निम्न अनुसार अभियुक्तों को दण्डित किया गया :-

अतः अभियुक्त मेहराम पुत्र छगना को अंतर्गत धारा 148, 302, 324/149 भादस. में दोषसिद्धि की जाती है।

अभियुक्त रामनिवास को अंतर्गत धारा 147, 323, 324/149 भादस एवं अभियुक्त हीरालाल, रामनारायण को अंतर्गत धारा 323, 324/149 भादस. एवं अभियुक्त बक्शाराम को अंतर्गत धारा 148, 324 भादस0 में दोषसिद्धि की गयी।

अभियुक्त हीराराम, रामनारायण, रामनिवास एवं बक्शाराम को धारा 302 एवं 302/149 भादस0 के आरोपों में दोषी नहीं पाया गया।

अतः अभियुक्त महराम को धारा 302 भादस. के अंतर्गत आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है एवं 100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता

है अर्थदण्ड की अदम अदायगी पर अतिरिक्त 3 माह का साधारण कारावास भुगतेगा।

अभियुक्त महराम एवं बक्शाराम को अंतर्गत धारा 148 भादस0 में 6 माह का साधारण कारावास एवं 100 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड के अदम अदायगी में 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा एवं अभियुक्त रामनारायण एवं रामनिवास को अंतर्गत धारा 147 भादस से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त बक्शाराम को अंतर्गत धारा 324 एवं अभियुक्त रामनिवास, हीराराम, रामनारायण और मेहराम को अंतर्गत धारा 324/149 भादस. में 6 माह का कारावास एवं 100 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है एवं अर्थदण्ड के अदम अदायगी पर 15 दिन का साधारण कारवास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा। अभियुक्त रामनिवास को अंतर्गत धारा 323 भादस. में तीन माह के साधारण कारावास से दण्डित किया गया। सभी सजायें साथ साथ चलेगी।

अभियुक्त हीरालाल, रामनारायण, रामनिवास एवं बक्शाराम को धारा 428 दप्रसं0 के तहत छूट का लाभ प्राप्त होगा।

कपड़े एवं आयुध (आर्टिकल नं 1 लगायत 10) को अपील की मियांद पश्चात् नियमानुसार निस्तारित कर दिया जायेगा। इस निर्णय कि एक प्रति अभियुक्तों को अविलम्ब प्रदान कर दी जाये।

अभियुक्त संख्या 5 (महराम पुत्र छगानाराम) के संबंध में उसे धारा अंतर्गत 148, 302, 324/149 भादस. में दोषसिद्धि की गयी एवं धारा 302 भादस0 में आजीवन कारावास एवं 100 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया धारा 149 भादस. के अंतर्गत छः माह साधारण कारावास एवं 100 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

3- पांचों अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी जिसका नम्बर डी बी0 क्रिमिनल संख्या

271/1982 है। रामनिवास प्रत्यार्थी नं0 2/ मूल अभियुक्त नं 3), हीरालाल (प्रत्यार्थी नं 3/ मूल अभियुक्त नं0 1) रामनारायण (प्रत्यार्थी नं0 4/ मूल अभियुक्त नं0 2) एवं बक्शाराम (प्रत्यार्थी नं. 5/ मूल अभियुक्त नं0 4) की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गयी एवं धारा 149 भा द स. के तहत दोषसिद्धि अपास्त की गयी परन्तु धारा 323, 324, 147 एवं 148 भादस. के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी गयी। उन्हें भुगती सजा से दण्डित किया गया। जहां तक अभियुक्त महराम पुत्र छगनाराम (प्रत्यार्थी नं. 1 मूल अभियुक्त नं0 5) के संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर की उसके द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार का अतिक्रमण किया गया, उसकी धारा 302 भादस. की दोषसिद्धि धारा 326 भादस. में परिवर्तित

कर दी गयी। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय द्वारा उसको धारा 148 भादस0 में दोषसिद्धि, को पुष्ट किया गया। हत्या के आरोप होने के बावजूद एवं भूराराम (मृतक) की सआशय हत्या करने पर भी, उच्च न्यायालय द्वारा भुगती सजा (करीब पांच माह) से दण्डित किया गया एवं उसे निर्देशित किया गया कि वह मृतक भूराराम के निकट संबंधी को 50,000/- रुपये प्रतिकर स्वरूप अदा करे।

4- उपरोक्तानुसार यह अपील राज्य द्वारा पांचों अभियुक्त के विरुद्ध पेश की गयी, परन्तु शुरूआत में ही, यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य द्वारा यह अपील प्रत्यार्थी संख्या 1, अभियुक्त संख्या 5 के विरुद्ध अपराध की प्रकृति एवं सजा के बिन्दु पर ही अनुनय की जा रही है। अभियुक्त प्रत्यर्थी संख्या 5 के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया

कि उनके द्वारा धारा 326 एवं 148 भादस. के दोषसिद्धि एवं सजा के आदेश को चुनौती दी जा रही है, हालांकि उक्त अभियुक्त द्वारा उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई औपचारिक अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। उनके द्वारा अपने तर्कों को बल देने के लिए, उनके द्व ारा चन्द्रकांत पाटिल बनाम राज्य जरिये सीबीआई (1998) 3 एसएससीसी 38, सुमेर सिंह बनाम सूरजभान सिंह व अन्य (2014), 7 एससीसी 323, राजस्थान राज्य बनाम रामानंद (2017) 5 एससीसी 695 एवं धारा 377(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 पर निर्भर किया गया। उनके अनुसार अभियुक्त संख्या 5 दोषमुक्ति का अधिकारी है, क्योंकि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपराधों को सिद्ध नहीं कर पाया। किसी भी दशा में, विकल्प में यह भी

तर्क दिया गया कि घटना क्षणिक आवेश में आकर हुई है जब अभियुक्त को प्रकोपन दिया गया एवं उक्त अभियुक्त प्रतिकार एवं अपने प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर, मृतक भूराराम को एकल चोट कारित की बिना इस आशय से की उसकी मृत्यु हो जाये। उस आधार पर भी, अभियुक्त संख्या 5 संदेह के लाभ का अधिकारी है एवं यह धारा 326/148 भादस. के अंतर्गत दोषसिद्धि योग्य प्रकरण नहीं है। यह भी तर्क दिया गया अभियुक्त संख्या 5 एक वरिष्ठ नागरिक है जो तकरीबन 70-75 वर्ष आयु का है एवं कई आयुजनित बीमारियों से ग्रसित है एवं अधिक समय निकलने के कारण, इस न्यायालय द्व ारा राज्य का इस अपील पर सुविचार नहीं करना चाहिये। योग्य अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गय

कि यदि यह प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण का मामला है, इसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में, योग्य अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा गोटिपुला वैंकटशिवा सुब्रयनम व अन्य बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य (1970) I SCC (पैरा 17 व 18), देव नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 SCC 347 (पैरा 5), सुब्रामणी व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य (2002) 7 एससीसी 210 (पैरा 19 से 27) एवं उत्तर प्रदेश राज्य बनाम गजे सिंह व अन्य (2009) 11 एससीसी 414 (पैरा 30) के विनिश्चयों पर निर्भर किया है।

5. हमने डॉ. मनीष सिंघवी, योग्य वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलांट की ओर से एवं श्री सुशील कुमार जैन, योग्य वरिष्ठ अधिवक्ता प्रत्यार्थी की ओर से, को सुना गया।

6- अभियुक्त संख्या 5 (महराम पुत्र छगानाराम) के इस तर्क से कि सरकार द्वारा दायर अपील उसके विरुद्ध जिसमें उसे धारा 326/148 भादस. में उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय से दोषसिद्ध किया गया एवं दण्डित किया गया उसे वह चुनौती दे सकता है से हम सहमत है। क्योंकि विधि में यह सुस्थापित स्थिति है, जैसा कि चन्द्रवात पाटिल, सुमेर सिंह एवं रामानंद एवं धारा 377(3) द0प्र.सं0 में उल्लेखित है कि दण्डादेश की अपर्याप्तता के आधार पर अपील में अभियुक्त अपनी दोषमुक्ति के लिए या दण्डादेश में कमी करने के लिए अभिवचन कर

सकता है। अतः अभियुक्त संख्या 5 (मेहराम पुत्र छगनाराम) के विरुद्ध अनवीक्षा न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय (उच्च न्यायालय) के द्वारा तथ्यों को विशुद्धता का विवेचन करना आवश्यक है।

7. अनवीक्षा न्यायालय के निर्णय पर लौटने पर हम यह पाते हैं कि अनवीक्षा न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व आदेश दिनांक 21.07.1982 द्वारा प्रत्येक गवाह की साक्ष्य का एवं विपक्षी पार्टी द्वारा उसके खण्डन की विस्तारित रूप से विवेचना की गई। अपने इस विवेचना के आधार पर अनवीक्षा न्यायालय द्वारा यह माना गया कि अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा कि अभियुक्त पक्ष कैर झाड़ियों के पीछे छिपा था एवं परिवादी पक्ष के घ ाटनास्थल पर पहुंचने पर झाड़ियों/पौधों से बहार आकर

परिवादी पक्ष से मारपीट की गयी जिसमें भूराराम (मृतक) भी शामिल था। अनवीक्षा न्यायालय द्वारा यह अभिलिखित किया गया –

> "24. . . . अतः यह स्थापित हो गया है कि घटनास्थल 'केर' पौधों की भूमि थी, कैर झाड़ियों की ऊंचाई तकरीबन 5–6 फीट थी एवं साक्षी मांगीलाल (पीडी–11) के साक्ष्य एवं इस घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श–21) के अनुसार अभियुक्त कैर झाड़ियों के पीछे छुपे थे। इस प्रकार यह तथ्य कि अभियुक्त कैर झाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे, स्थापित हो गया एवं यह कि अभियुक्त ही आक्रमक पार्टी थे, अन्यथा वह कैर झाड़ियों के पीछे नहीं छुपते।"

आगे यह तथ्य अभिलिखित है कि घटना से पूर्व अभियुक्त संख्या 2 रामनारायण, घेवर एवं मोटाराम का बकरियों के चराने के संबंध में कोई झगड़ा हुआ था, जिसमें रामनारायण ने घेवर के साथ मारपीट की थी, जो

फरियादी पक्ष का आदमी है, परिस्थितियां स्पष्ट रूप से इस और इंगित करनी है कि अभियुक्त बदला लेना चाहते हैं और इस कारण से वह अपने गांव से घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर पहुंचे ताकि वह उचित समय पर फरियादी पार्टी पर हमला कर सके। अनवीक्षा न्यायालय द्वारा आगे यह कहा गया कि अभियुक्तों द्वारा यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि वह घटनास्थल पर इकट्ठे क्यों हुए ना उनके द्वारा इसका स्पष्टीकरण दिया गया कि वह 'कस्सी' जैसे घातक हथियार को अपने साथ क्यों लाये। इस संदर्भ में अनवीक्षा न्यायालय द्वारा यह अभिलिखित किया गया –

> "25. .... चौथा, अभियुक्तों द्वारा यह स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि पांच अभियुक्त क्यों इकट्ठा हुए ना ही उनके द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया कि वह 'कस्सी' जैसे घातक, हथियार अपने साथ क्यों लाये।

अतः, इस तथ्य से, अभियुक्तों का गांव से जाना, घातक हथियारों से सुसज्जित होना, घटना से पूर्व रामनारायण द्वारा घेवरराम के साथ मारपीट करना जो फरियादी पार्टी का सदस्य है, इन सबसे यह स्थापित हो गया कि अभियुक्त बदला लेना चाहते थे। इस कारण से वह लाथियां एवं कस्सीयों से लैस घटनास्थल पर पहुंचे, अतः इससे यह प्रमाणित हो गया कि अभियुक्त आक्रमक पार्टी थे।

26. हमारे मत से, योग्य अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से द्वारा दिया गया तर्क कि अभियोजन साक्ष्य द्वारा दिया गया तर्क की मांगीलाल लाठी घुमा रहा था यह प्रमाणित हो गया एवं इस अनुसार फरियादी पक्ष आक्रमक पार्टी थी, इस तर्क में हम कोई सार नहीं पाते। प्रथमतः, उपरोक्त विवेचन अनुसार, अभियुक्त आक्रमक पार्टी थे यह प्रमाणित हुआ है, यदि मांगीलाल द्वारा घिरे जाने पर लाठी घुमाने से यह नहीं कहा जा सकता कि वह आक्रमक पार्टी था। दूसरा, अभियोजन साक्ष्य रामरतन (पीडी–5), मोतीराम (पी.डी.–6), अन्ताराम (पी.डी.–7), महराम (पी.डी.–8),

एवं मांगीलाल (पी.डी.–11), के कथन अनुसार मांगीलाल इसलिये लाठी घुमा रहा था कि वह घिर गया था एवं 'मारे मारे' चिल्ला रहा था। अतः, लाठी का घुमाना फरियादी पक्ष द्वारा जबकि वह अपने मारपीट के बाद अपने प्रतिरक्षा में घुमा रहा था, इससे अभियुक्तों को आत्मरक्षा का अधिकार नहीं मिल जाता। "

अनवीक्षा न्यायालय द्वारा यह भी अभिलिखित किया गया है कि फरियादी पक्ष एवं अभियुक्त पक्ष दोनों द्वारा प्रश्नगत घटना में चोटे आयी है। हालांकि, अनवीक्षा न्यायालय प्रस्तुत प्रकरण में इस मत का है कि अभियुक्त पार्टी द्वारा लगी हुई चोटों का अभियोजन पक्ष द्व ारा स्पष्टीकरण नहीं दिये जाने से तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता, एवं यह अभिलिखित किया गया –

"28. ..... प्रथमतः प्रस्तुत प्रकरण से अभियुक्त आक्रमक पार्टी थे। यह भी स्थापित हो जाता कि अभियुक्तों द्वारा इस प्रकरण का प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकरण का उद्भूत होने की प्रत्यक्ष साक्ष्य दी गयी है। अभियोजन साक्ष्य अकाट्य रही है, अभियुक्तों द्वारा चोटों प्राप्त होने का स्पष्टीकरण व अभियोजन द्वारा नहीं प्रस्तुत करने से, अभियोजन के प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ...."

अनवीक्षा न्यायालय द्वारा विशुद्ध रूप से यह अभिलिखित किया गया कि अभियुक्तों द्वारा प्राप्त चोटें ऊपरी एवं साधारण हैं। चिकित्सीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के विवेचन पश्चात्, अनवीक्षा न्यायालय ने यह निर्धारण किया कि झगड़े के दौरान, लक्शाराम (अभियुक्त संख्या 4) द्वारा कस्सी की चोट को भूराराम ने अपने हाथों से झेल लिया, एवं उसके पश्चात् महराम पुत्र छगनाराम

(अभियुक्त संख्या 5) ने धारदार तरफ से भूराराम (मृतक) को उसकी मृत्यु करने के आशय से चोट पहुंचायी, जो चोट उसके सर जैसे मार्मिक भाग पर लगी।

चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार उक्त चोट भूराराम ने मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी। अनवीक्षा न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य की विवेचना कर यह अभिलिखित किया है –

"39. इसलिये साक्षी मांगीलाल (PD-11) की साक्ष्य की पुष्टि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य (P-5, 6, 7, 8), चोट प्रतिवेदन प्रदर्श (P-9, 10) एवं प्रदर्श P-11 मृतक भूरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हालात घटनास्थल प्रदर्श P-1, घ ाटनास्थल का नक्शा मौका P-14, रक्तरंजित लाठी की बरामदगी आर्टीकल 8 अभियुक्त रामनिवास के कब्जे से, आहत एवं मृतक के रक्त रंजित कपड़े की बरामदगी एवं अभियुक्त आक्रामक पार्टी के साक्ष्य

थे एवं अभियुक्त रामनारायण द्वारा घेवर एवं मोटाराम जो फरियादी पक्ष के थे उनके साथ मारपीट की गई घटना से पूर्व, एवं PW-1 के कथनों से यह प्रमाणित होता है कि 14.8.81 को शाम के समय ग्राम गोआखुर्द में अभियुक्त हरिराम, रामनारायण, रामनिवास, बक्शाराम एवं मेहराम द्वारा एक विधि–विरुद्ध जमाव का गठन किया गया एवं उस समय अभियुक्त बक्शाराम एवं मेहराम घातक हथियारों जैसों की कस्सी से सुसज्जित थे, अपने सामान्य उद्देश्य में अग्रसर अभियुक्त बक्शाराम द्वारा इस आशय से साधारण चोटें कस्सी से मांगीलाल के हाथों में कारित की एवं जब भूरा उसके बचाव में आया तब अभियुक्त मेहराम से कस्सी के धारदार तरफ से भूरा के सर पर चोट कारित की। यह भी स्थापित है जब मेहराम भूरा को बचाने आया, तब रामनिवास ने मेहराम के सर और कंधे पर लाठी से चोट कारित की।

40. अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि जब भूरा बचाव के लिये आया तब उसे

चोटें कारित हुई, इसलिये अभियुक्त मेहराम के इस कृत्य से, यह नहीं कहा जा सकता कि हत्या करने का कोई हेतुक उसके पास एवं अत्यधिक अभियुक्तों का कृत्य धारा 304 (भादस. 304 भाग II की परिनिधी में आता है, इसलिये अभियुक्त को धारा 302 भादस0 के आरोपों से दोषमुक्त किय जावे।

41. मेरे मत में, योग्य अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क में कोई सार नहीं पाता हूँ, क्योंकि पीडी–09 डॉ0 गोदावत ने अपने कथन से यह प्रमाणित किया है कि चोट संख्या 1 भूरा के सिर पर प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी एवं इस चोट से भूरा की मृत्यु हुई। चोट के नीचे हड्डी पूरी कट चुकी थी। मस्तिष्क की सभी झिल्लियां कट चुकी थी। इस अनुसार, यह प्रमाणित है चोट संख्या 1 प्रकृति के सामान्य अनुक्रम से मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी, चोट संख्या 1 सर जैसे मार्मिक भाग पर दी गयी थी, कस्सी जैसे घातक हथियार द्वारा दी गयी थी और वह भी धारदार तरफ से, भूरा का पीछे से बचाव के लिए आना, अभियुक्तों

द्वारा मारपीट करना एवं गहरी चोट पहुंचाना, इससे यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तों द्वारा पूरे बल से चोटे कारित की गयी एवं चोटग्रस्त होने के पश्चात् भूरा का नीचे गिर जाना, इन तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्त मेहराम का आशय भूरा की मृत्यु कारित करना था एवं इस आशय से उसने भूरा के सिर पर चोट मारी ताकि उसकी मृत्यु हो जावे, जिस कारण से भूरा की मृत्यु हो गयी। इसलिये अभियुक्त मेहराम पुत्र छगना ने मृत्यु करने के आशय से भूरा के सिर पर चोट दी। अतः उसके द्वारा भूरा का मानव वध का अपराध कारित किया गया एवं मेहराम पुत्र छगना के विरुद्ध धारा 302 भा.द0स0 का अपराध प्रमाणित पाया जाता है।

42. मेरे मत में, योग्य अधिवक्ता अभियुक्त के इस तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि अभियुक्त का कृत्य धारा 304 भाग II भा0द0स0 के परिनिधि में आता है। प्रथमतः महराम आक्रमक पार्टी था, द्वितीय अभियुक्त महराम ने हथियार से मारपीट की, वह तैयारी के साथ वहां खड़ा था इसलिये यह नहीं कहा

जा सकता है कि भूरा की हत्या अभियुक्त महराम पुत्र छगना द्वारा त्वरित की गयी हो। बल्कि, यह प्रमाणित हुआ है मेहराम पुत्र छगना द्वारा भूरा को मृत्यु करने के आशय से कारित की गयी अतः यह प्रकरण धारा 302 भादस. के परिनिधि में आता है।''

अनवीक्षा न्यायालय द्वारा यहां तक अभिलिखित किया गया है कि अभियोजन सामान्य उद्देश्य को प्रमाणित करने में असफल रहा है एवं उनको धारा 149 भादस. के आरोपों से मुक्त कर दिया गया।

8. जब यह प्रकरण अपील के रूप में उच्च न्यायालय में पहुंचा, उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया एवं अगर हम यह कहे तो, अपने आलोच्य निर्णय द्वारा जो निम्न अनुसार है -

''.....

हमने पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर आयी साक्ष्य का विवेचन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी पार्टी द्वारा वाद किया हुआ खेत, प्रस्तावित रास्ता नहीं है, यहां तक कि वह राजस्व अभिलेख पर अभिलेखित नही है। फरियादी पक्ष इसे चिरभोग द्वारा अर्जन मान रहा है। अगर चिरभोग में परिपक्वता होती तो वह अधिकार में परिवर्तित हो जाता, फरियादी पक्ष द्वारा उक्त अनुरूप घोषणा करवायी जाती। बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये, औपचारिकताओं द्वारा ही फरियादी पक्ष अपना हक जताता रहा। इससे फरियादी पक्ष को अपना हक जताता रहा। इससे फरियादी पक्ष को आक्रमक पार्टी बनाता है, एवं फरियादी का यह पक्ष कमजोर होता है, की अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट की। जब फरियादी द्वारा अभियुक्त पक्ष की समुचित प्रकोपन दिया गया ऐसे अधिकार के लिए, जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस परिपेक्ष में, परिवादी एवं अभियुक्त में विवाद हुआ, तब सामान्य उद्देश्य का प्रश्च समाप्त हो जाता है। दोनों

पक्षों द्वारा झगड़ा एवं मारपीट की गयी जिसमें एक-दूसरे को चोटें कारित की गयी। यह एक फ्री फाईट का प्रकरण है एवं इस प्रकरण को देखते हुए धारा 149 भादस0 को प्रस्तावित करना हम समुचित नहीं पाते एवं इसलिये धारा 149 भादस. से हमारे विवेचन से हटाते हैं।

जब धारा 149 भादस. को हटाते हैं तब व्यक्तिगत Participation को देखा जायेगा मृतक को सिर्फ अभियुक्त महराम ने चोटें कारित की। अन्य सभी अभियुक्त को धारा 149 भादस. की सहायता से दोषसिद्ध नहीं किया गया। धारा 149 भादस0 के आधार पर दोषसिद्धि को अपास्त किये जाने योग्य है। अन्य अभियुक्तों सिवाय अभियुक्त महराम को धारा 302 भादस. से दोषमुक्त किये जाने पर वह धारा 323, 324, 147 एवं 148 भादस. में दोषसिद्ध रह जाते हैं। इन अपराधों के लिये जो समय भी वह भुगती सजा से व्यतीत किये गये उसे पर्याप्त माना जा सकता है, इस प्रकार अभियुक्त रामनिवास, हीराराम, रामनारायण एवं बक्शाराम की अपील इस

हद तक स्वीकार की जाती है एवं धारा 302/149 भादस0 के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त की जाती है, उनका धारा 323, 324, 147, एवं 148 भादस. में दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है एवं उनके द्वारा 5½ महीने का भुगता हुआ कारावास न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हेतु समुचित माना जाता है।

अब हम अभियुक्त महराम को प्रकरण में लिप्तता का विवेचन करेगें। यह कहा गया कि इसके द्वारा सारी चोटें कारित की गयी है। पर यह उस परिपेक्ष में जब दोनों पक्षों में फ्री फाईट हुई थी। महीराम स्वयं आहत है उस परिपेक्ष में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका आशय मृतक की मृत्यु कारित करना हो। सबसे बेहतर यह कहा जा सकता है कि उसके द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण किया गया है। सबसे बेहतर यह कहा जा सकता है कि धारा 326 भादस. में वह दोषसिद्ध किया जा सकता है।

अतः यह परिणाम निकलता है कि अभियुक्त रामनिवास, हीरालाल, रामनारायण एवं बक्शाराम की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उनकी दोषसिद्धि एवं सजा अंतर्गत धारा 149 भादस. में अपास्त की जाती है एवं धारा 323, 324, 147 एवं 148 भादस. में दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है। सजा के बिन्दु पर भुगती सजा पर छोड़ देना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त है।

जहां तक अभियुक्त महराम के संदर्भ में, उसकी धारा 302 भादस0 में दोषसिद्धि धारा 326 भादस. में परिवर्तित की जाती है एवं धारा 148 भादस0 में दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है। महराम को यह निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक के निकटम्म परिजन को 50000/- रुपये प्रतिकर राशि स्वरूप अदा करेगा।

9. अनवीक्षा न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय (उच्च न्यायालय) के प्रासंगिक साक्ष्य एवं निर्णय के विवेचन

पश्चात्, हम कोई कारण नहीं पाते कि अनवीक्षा न्यायालय के इस निष्कर्ष पर जो ठोस परिस्थितियेां एवं साक्ष्य से इंगित करता है, से जुदा होए की अभियुक्त पक्ष आक्रामक पक्ष नहीं था। जो झाड़ियों में छुपा था एवं फरियादी पक्ष के आने पर ही प्रकट हुआ। अभियुक्त पक्ष घ ातक हथियारों से लैस एकत्र था एवं सभी अभियुक्त फरियादी पक्ष के आने का इंतजार कर रहे थे एवं उनके आते ही मारपीट चालू कर दी। जो चोटे अभियुक्तों ने कारित की, विशेषतः अभियुक्त संख्या 5 इस आशय से की कि भूराराम (मृतक) की हत्या हो सके। भूराराम की मृत्यु अभियुक्त संख्या 5 द्वारा कारित चोट से हुए एवं यह मानववध है। हम कोई कारण नहीं पाते कि हम अनवीक्षा न्यायालय के इस निष्कर्ष से जुदा हो एवं अगर हम यह

कहे, उच्च न्यायालय भी इसी मत का था। उच्च न्यायालय अपने आलौचित निर्णय से, इस गलत धारणा से आगे बढ़ा की फरियादी पार्टी द्वारा अनाधिकृत रूप से अभियुक्त पार्टी के खेत में घुस गये। जिस कारण अभियुक्त पार्टी को प्रकोपन दिया गया ताकि वह अपना कब्जा बना सके, अभियुक्त पार्टी को प्रतिरक्षा के अधिकार का सहारा लेना पड़ा। ऐसा करते हुए, अभियुक्त पक्ष, विशेषतः अभियुक्त संख्या 5 (महराम पुत्र छगनाराम) ने प्रतिरक्षा के अधिकार का अतिक्रमण कर लिया। यह कोई सामान्य उद्‌देश्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत घटना प्रकोपन द्वारा एवं फ्री फाईट में तब्दील हो गयी, जिससे दोनों पक्षों को चोटे आयी। उच्च न्यायालय के तर्कों में यह कमी स्पष्ट होती है कि उच्च न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षी, जिसे अनवीक्षा न्यायालय

द्वारा विस्तृत रूप से विवेचित एवं स्वीकार किया, जिन्होंने इन आरोपों को प्रमाणित किया कि अभियुक्त पक्ष आक्रामक पक्ष माना जाता है एवं उनके द्वारा फरियादी पक्ष के साथ मारपीट चालू की गयी एवं यह भी कि अभियुक्त संख्या 5 (महराम पुत्र छगनाराम) ने भूराराम (मृतक) के साथ इस आशय से मारपीट की उसकी मृत्यु हो जाए, प्रतिरक्षा के अधिकार का अभिमंत्रित करने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता। वास्तव में, प्रतिरक्षा के अधिकार को सिद्ध करने के लिए कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गयी। दो सिद्धांत (आक्रमक होना, निजी रक्षा के अधिकार के विरुद्ध है) में प्रतिपक्षता है।

10. अगर प्रकरण यह होता की फरियादी पक्ष आक्रमक पक्ष होता तो अभियुक्त पक्ष एवं विशेषतः अभियुक्त संख्या

5 (मेहराम पुत्र छगनाराम) तो प्रतिरक्षा के अधिकार पर सुना जा सकता था। चोटों की प्रकृति जो इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि अभियुक्त पक्ष आक्रमक पक्ष था। डॉक्टर गोदावत द्वारा अपनी पोस्टमार्टम परीक्षण (प्रदर्श पी–11) में अभियुक्त संख्या 5 (मेहराम पुत्र छगनाराम) मृतक (भूराराम) की कारित की गई है वह निम्नलिखित है–

1. कटा हुआ घाव 5.1 सेमी0 × हड्डी में, यह चोट सर के पैराइटल रीजन के मध्य में है। इसके नीचे हड्डी कटी हुई है। मस्तिष्क को ढकने वाली सारी झिल्लियां कटी हुई है। चोट में मस्तिष्क दिखाई दे रहा है।

   3- रगड़ 3 × 2 सेमी. जो बायें पैर में अग्र की तरफ बीच में। सारी चोटें मृत्यु पूर्व की है। मस्तिष्क पदार्थ चोटें के समानान्तर था जो आधा सेंटीमीटर कटा हुआ था।

(जोर दिया गया।)

चिकित्सक के मतानुसार भूराराम (मृतक) की मृत्यु मस्तिष्क की चोट के कारण एवं चोट संख्या 1 के कारण हुई है। यह तथ्य की मृत्यु चोट संख्या 1 के कारण ही हुई है तो इसका मतलब है यह नहीं है कि मृत्यु मानव वध ना हो ना ही यह उपधारणा ली जा सकती है कि ऐसी चोट से मृत्यु कारित करने का आशय ना हो। अभिलेख पर आई साक्ष्य का विवेचन अनवीक्षा न्यायालय द्वारा सम्यक् रूप से किया गया एवं यह अभिलेखित किया गया कि अभियुक्त संख्या 5 (मेहराम पुत्र छगनाराम) द्वारा चोट संख्या 1 इस आशय से कारित की गई है कि भूराराम (मृतक) की मृत्यु हो सके ताकि फरियादी पक्ष को यह सबक सिखाया जा सके कि वह

बार–बार उनके खेत में अनाधिकृत प्रवेश ना करे जो अभियुक्त पक्ष द्वारा चेताया गया एवं इस बावत व्यवधान पूर्व में उत्पन्न भी किया गया।

11. अब हम अभियुक्त संख्या 5 (मेहराम पुत्र छगनाराम) का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श डी–7 का विवेचन करेगें, जिसे चोट हथियार से साधारण चोट कारित हुई, वह निम्नानुसार है।

1. रगड़ 1 × 1 सेमी. जो बांये हाथ के बीच में पीछे की तरफ ऊंगली पर है।
2. रगड़ 1 × .3 सेमी. जो बांये तर्जनी ऊंगली पर मध्य के ऊपरी तरफ।
3. रगड़ 6 × 1 सेमी. तिरछा दायी कंधे पर।
4. दो रगड़ 1.5 × 4 सेमी. दांयी जांघ पर नीचे की तरफ दोनों चोट आधा सेंटीमीटर दूरी पर है।
5. आहत बायें पैर में दर्द की शिकायत पर रहा है।

चोटों के विवरण से, यह स्पष्ट है कि चोटें सतही है एवं अनवीक्षा न्यायालय द्वारा इसे सही पता लगाया गया इसका कोई प्रभाव अभियोजन के मामले पर नहीं पड़ता अगर इनका स्पष्टीकरण ना भी दिया गया होता तो भी इस तथ्य की कुछ अभियुक्तों के घातक चोटें भी आई हैं, तो भी यह अभियोजन के प्रकरण को झूठला नहीं सकता कि अभियुक्त ही आक्रामक पक्ष के थे। अभियुक्त के पास कोई कारण नहीं था कि वह झाड़ियों के पीछे हथियारों से सुसज्जित होकर, फरियादी पक्ष का इंतजार कर रहे थे और उनके आने पर, उनके साथ तुरन्त मारपीट की गई एवं फरियादी पक्ष को घातक चोटे पहुंचाई गई। ऐसा तथ्यों का आव्यहू है, तो प्रतिरक्षा के अधिकार का तर्क जो अभियुक्तों द्वारा लिया गया है वह अपरिमेय है।

अगर ऐसा तर्क उनके पास उपलब्ध नहीं है तब प्रतिरक्षा के अधिकार के अतिक्रमण का प्रश्न अभियुक्त के पक्ष में उत्पन्न नहीं हो सकता। उच्च न्यायालय का निर्णय जो इस संदर्भ में त्रुटिपूर्ण है, उनका यह निष्कर्ष न्यायिक समीक्षा के परीक्षण में खरा नहीं उतरता। इसी कारण से धारा 302 के अपराध के धारा 326 के अपराध में परिवर्तित करने का समर्थन दोनों तथ्यों और विधि में नहीं करता।

12. वास्तव में निःसंदेह अनवीक्षा न्यायालय द्वारा अभियुक्त संख्या 5 (महराम पुत्र छगनाराम) के विरुद्ध अभिलिखित अपराध, बिना अपवाद के हैं। हालांकि, अपराध की प्रकृति को देखते हुए, अनवीक्षा न्यायालय द्वारा अभियुक्त का तर्क धारा 304 भाग II भादस. के संदर्भ में ही किया गया। अनवीक्षा न्यायालय द्वारा यह तर्क खारिज कर दिया

गया एवं हम भी इस निष्कर्ष पर सहमत है, स्थिर है, क्योंकि अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य इस ज्ञान के साथ था कि इससे मृत्यु कारित हो सकती है एवं भूराराम (मृतक) की मृत्यु का आशय है। हमारे अंतिम मत को अभिव्यक्त करने से पूर्व, इसका परीक्षण करना आवश्यक है कि क्या यह प्रकरण धारा 300 भादस. के अपवादों के अंतर्गत आ सकता है के अपवादी के अंतर्गत आ सकता है ताकि धारा 304 भादस. चाहे भाग 1 या भाग 2 लागू किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्य इस ओर इंगित करते हैं कि अभियुक्त विशेषतः अभियुक्त संख्या 5, प्रासंगिक समय पर, अभियुक्तों के खेत पर बार–बार फरियादी पक्ष के अनाधिकृत प्रवेश में घोर एवं आकस्मिक प्रकोपन दिया जिस कारण से अभियुक्त आत्मसंयम की

शक्ति से वंचित हो गये और यह भी अभियुक्त संख्या 5 द्वारा भूराराम (मृतक) के सर जैसे मार्मिक भाग पर एकल घातक चोट से उसकी मृत्यु हुई। यह प्रकोपन अभियुक्त पक्ष ने आमंत्रित नहीं किया था, परन्तु फरियादी पक्ष के कृत्य द्वारा कारित किया गया था, जो अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर गये थे जिनका आक्षेप फरियादी पक्ष द्वारा उसी दिन पूर्व में लिया गया था। चूंकि, अभियुक्त संख्या 5 द्व ारा एकल घातक सर पर चोट से भूराराम (मृतक) की मृत्यु हो गयी, जिसका आशय उसकी मृत्यु कारित करना था ऐसी चोट पहुंचाना जिससे उसकी मृत्यु हो सकी, यह प्रकरण धारा 304 भाग 1 के परिधि में आता है। निश्चित तौर पर यह प्रकरण धारा 326 भादस. के परिधि में नहीं आता जैसा उच्च न्यायालय ने अभिलिखित किया।

हम उच्च न्यायालय के मत से सहमत नहीं है। अगर यह मान भी लिया जाये तो उच्च न्यायालय ने सही तौर पर धारा 326 भादस. को लागू किया, परन्तु हम इस निष्कर्ष से बिल्कुल भी सहमत नहीं है की उच्च न्यायालय द्वारा कैसे ऐसी सजा अधिरोपित कर सकती है जा केवल 5 माह ही हो, जो प्रकरण की प्रकृति एवं गंभीरता को देखते हुए एवं उस पृष्ठभूमि में जिसमें अभियुक्तों द्वारा अपराध कारित किया गया, विशेषतः अभियुक्त संख्या 5 का।

13. योग्य अधिवक्ता अभियुक्त संख्या 5 हमें बड़े दुःखी मन से यह व्यक्त करते हैं कि अभियुक्त अब 70 से 75 वर्ष का हो गया है एवं ऐसे समय में उसे पुनः कारावास भेजना उचित नहीं होगा। इस प्रकरण का समस्त अवलोकन करने

पर हम उनके दिये गये इस तर्क से प्रभावित नहीं है। अगर उच्च न्यायालय द्वारा धारा 326 भादस. में दोषसिद्धि मान भी ली जाती तब भी उक्त सजा में आजीवन कारावास या किसी भाति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जा सकता था और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। अगर यह धारा 326 के अंतर्गत दोष सिद्ध है, जैसा कि उपरोक्त वर्णित है, प्रकरण के तथ्य को देखते हुए मात्र 5 महीने का कारावास, कल्पना के किसी भी विस्तार से समुचित नहीं है।

14. जैसा भी हो, हमारे अभिमत से अभियुक्त संख्या 5 महराम (छगनाराम) धारा 304 भाग 1 भादस. में दोषसिद्ध किया जाना एवं दण्डित किया जाना योग्य पाते हैं पूर्व में दिये अभिलिखित कारणों से, हम यह आवश्यक

नहीं समझते है की इस न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये अभियुक्तों के द्वारा प्रतिरक्षा के अधिकार पर दिये गये विनिश्चियों पर रोशनी डाले।

15. समग्र रूप से इस प्रकरण का अवलोकन करने पर हमारा यह अभिमत है कि इस प्रकरण में अभियुक्त संख्या 2 महराम पुत्र छगनाराम को 10 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित करना एवं पचास हजार रुपया मृतक के निकट्तम परिजन की प्रतिकर स्वरूप राशि अदा करना उचित पाते हैं, अगर यह राशि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नहीं दी गई हो।

16. उक्त अनुसार हम यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं, उच्च न्यायालय एवं अनवीक्षा न्यायालय के आलोच्य निर्णय को हम उपान्तरित कर अभियुक्त संख्या 5

(महराम पुत्र छगनाराम) की धारा 304 भाग 1 एवं धारा 148 भादस0 के अपराधों में दोषसिद्धि करते हैं। उसे धारा 304 धारा 1 में 10 साल साधारण कारावास से दण्डित किया जाता है एवं धारा 148 में 6 माह साधारण कारावास एवं 100 रुपये जुर्माने से दण्डित किया जाता है, जुर्माने की राशि अदा करने के व्यतिक्रम में 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना पड़ेगा दोनों संजायें साथ साथ चलेगी। सजा का वह भाग जो अभियुक्त संख्या 5 (महराम पुत्र छगनाराम) द्वारा व्यतित कर दिया गया है उसक लाभ अभियुक्त को धारा 428 दप्रस. तहत दिया जावे। इसके अतिरिक्त, अभियुक्त संख्या 5 मेहराम पुत्र छगनाराम को यह निर्देशित किया जाता है कि वह पचास हजार रुपया मृतक भूराराम के निकटतम

परिजन को अदा करेगा, यदि उसने अब तक अदा ना कर दिये हो। अभियुक्त संख्या 5 महराम पुत्र छगनाराम के जमानत मुचलके निरस्त किया जाता है एवं उसे निर्देशित किया जाता है कि वह राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में छूट देने पर, जो इस वैश्विक बीमारी कोविड–19 के कारण उत्पन्न है, के छः हफ्ते के भीतर आत्मसमर्पण करेगा और शेष बची सजा भुगतेगा।

17. यह अपील उपरोक्त दिये गये आदेशानुसार निस्तारित की जाती है। अन्य कोई विचाराधीन अन्तवर्ती प्रार्थना पत्र, यदि कोई हो तो निस्तारित समझे जावे।

न्यायाधिपति

ए.एम.खानविलकर

न्यायाधिपति

दिनेश माहेश्वरी

नई दिल्ली

06, मई 2020

अस्वीकरण – इस निर्णय की अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको उनकी भाषा में समझने के लिये कर सकेगें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। हर अधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिये उक्त निर्णयों का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं क्रियान्वयन में भी इसी को उपयोग में लिया जायेगा।

Disclaimer: The translated judgment is vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used

for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.